दिनांक 12.07.2010 को मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थेः–

1. श्री वी0के0टमटा, मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष।
2. श्री डी0पी0जुगरान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर), हल्द्वानी।
3. श्री ए0के0दिनकर, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून।

सिंचाई योजनाओं के गठन के लिए केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1980 में निर्देश निर्गत किये गये थे तथा उत्तराखण्ड राज्य में पर्वतीय नहरों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर दिशा निर्देश इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2001 में निर्गत किये गये थे। सिंचाई योजनाओं के गठन में मुख्यतः लाभ–लागत की गणना में प्रायः भिन्नता पायी गयी है। अतः सिंचाई योजनाओं के गठन में विभिन्न मण्डलों द्वारा लाभ– लागत अनुपात की गणना में कोई भिन्नता न हो तो इसलिए निम्नानुसार मानक निर्धारित किये जाते हैं :–

सिंचाई योजनाओं के गठन में लाभ–लागत अनुपात की गणना

(क) वार्षिक लाभः–

सिंचाई योजना के गठन में वार्षिक लाभ की गणना निम्न प्रकार की जानी प्रस्तावित हैः–

(i) योजना के निर्माण के पूर्व क्षेत्र में कृषि उत्पादन

(ii) योजना के निर्माण के पश्चात क्षेत्र में प्रस्तावित कृषि उत्पादन

कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में सभी आंकड़े राज्य में जनपद स्तर पर कृषि विभाग के अधिकारी से उस क्षेत्र में होने वाली फसलों एवं उनके मूल्य के आधार पर ही लिए जायेंगे तथा योजना निर्माण के पश्चात लिए जाने वाले कृषि उत्पादन में जनपद में सिंचित क्षेत्र में होने वाली फसलों के आधार पर ही वार्षिक लाभ की गणना की जाये।

(ख) योजना की लागतः–

योजना की लागत की गणना निम्नानुसार प्रत्येक प्राक्कलन में की जानी प्रस्तावित हैः–

1.0 I -Works

1.1 A-Preliminary

इस मद के अन्तर्गत सर्वेक्षण, अन्वेषण, प्रतिरुप अध्ययन आदि कार्यो के लिए वास्तविक व्यय लिया जाये तथा किसी भी दशा में इस मद में लागत I-works लागत की 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

1.2 B- Land

इस मद के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण, वनीकरण, पुनर्वास, पुनर्स्थापन, भूमि का सीमांकन, भूमि माप पर व्यय आदि पर होने वाले वास्तविक व्यय को सम्मिलित किया जाये।

1.3 C- Works

इस मद के अन्तर्गत नहर शीर्ष की लागत, यथा बांध, स्पिलवे, बैराज, हैड रेगुलेटर, ऊर्जा ह्रास सम्बन्धि कार्य, आउटलेट्स आदि के निर्माण पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया जाये।

1.4 K- Building

इस शीर्षक के अन्तर्गत आवासीय/अनावासीय भवन, कार्यालय भवन, परिक्षण प्रयोगशालायें, कार्यशाला, सामुदायिक केन्द्र आदि को सम्मिलित किया जाये। इस हेतु प्राक्कलन में सी–वर्क्स का 1 प्रतिशत प्राविधान रखा जाये।

1.5 L- Earthwork

मिट्टी की खुदान का आंकलन करते समय Hard rock, Soft rock, mixed with pebbles and boulders etc. की क्रॉस सेक्शन के आधार पर विस्तृत गणना की जाये।

1.6 M- Plantation

इस मद के अन्तर्गत प्राक्कलन में सी–वर्क्स के 0.50 प्रतिशत का प्राविधान किया जाये।

1.7 O- Miscellaneous

इस मद में मूल लागत, संपति का रखरखाव, ड्रैनेज वर्क्स आदि से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित किया जाये तथा इस मद में प्राक्कलन में प्राविधान सी–वर्क्स के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।

1.8 P- Maintenance

इस मद में सिंचाई योजना के निर्माण के समय होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार प्राविधान किये जायेः–

1.	उत्तराखण्ड राज्य के मैदानी क्षेत्र (हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं देहरादून जनपद के मैदानी क्षेत्र)	सी–वर्क्स का 2 प्रतिशत
2.	उत्तराखण्ड राज्य के सभी पहाड़ी क्षेत्र	सी–वर्क्स का 5 प्रतिशत

1.9 R- Communication

इस मद के अन्तर्गत निरीक्षण सड़क आदि के निर्माण से सम्बन्धित व्यय का प्राविधान लोक निर्माण विभाग की (SOR) दर–विश्लेषण के आधार पर किया जाये।

1.10 X- Environment and Ecology

इस मद के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण, आवाह–क्षेत्र का उपचार, विलुप्त होने वाली वनस्पति एवं प्राणि जाति की रक्षा के लिए आदि का वास्तविक व्यय अथवा आई–वर्क्स का 0.50 प्रतिशत का प्राविधान रखा जाये।

1.11 T & P Charges

इस मद में सी–वर्क्स का 1.5 प्रतिशत का प्राविधान किया जाये।

(ग) वार्षिक लागत :–

वार्षिक लागत की गणना निम्नानुसार की जानी प्रस्तावित हैः–

(i) योजना की लागत (भूमि विकास की लागत सहित) की कुल धनराशि पर 6 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाये।

(ii) योजना के वार्षिक रख–रखाव पर विभिन्न खण्डों में स्वीकृत किये गये प्राक्कलनों के आधार पर प्रति कि0मी0 की दर से आंकलित कर व्यय लिया जाये।

(iii) राजस्व वसूली हेतु व्यय कुल राजस्व की धनराशी का 4 प्रतिशत लिया जायें।

(iv) ऑडिट एवं एकाउन्ट पर होने वाले व्यय हेतु वार्षिक रख–रखाव की धनराशि का 1 प्रतिशत लिया जायें।

(v) योजना की उपयोग अवधि 50 वर्ष मानतें हुए अवमूल्यन हेतु योजना की कुल लागत का 2 प्रतिशत लिया जाये।

सुलभ आंकलन हेतु एक उदाहरण संलग्न है।

लाभ–लागत अनुपात हेतु गणना

1– लागत

(i) योजना की लागत (भूमि विकास की लागत सहित) = रु0 .....

कुल लागत (A) = रु0

2. वार्षिक लाभ

(i) योजना निर्मित होने के उपरान्त

कुल कृषि उत्पादन की कीमत = रु0 .....

(ii) योजना निर्मित होने के पूर्व

कुल कृषि उत्पादन की कीमत = रु0 .....

(कृषि विभाग से लिए गये आंकडों के आधार पर)

विशुद्व लाभ (B) (i - ii) = रु0 .....

3. वार्षिक लागत :–

(i) वार्षिक ब्याज योजना की कुल लागत (A) का

6 प्रतिशत(C) = रु0 .....

(ii) अवमूल्यन लागत, योजना की लागत (A)

का 2 प्रतिशत (50 वर्ष उपयोग अवधि मानते हुए) = रु0 .....

(iii) योजना के वार्षिक रख–रखाव पर विभिन्न

खण्डों में स्वीकृत किये गये वार्षिक रख–रखाव के

प्राक्कलन के आधार पर रु0 ..... प्रति किमी0 = रु0 .....

(iv) राजस्व वसूली हेतु कुल राजस्व का 4 प्रतिशत = रु0 .....

(v) ऑडिट एवं अकाउन्ट पर व्यय (C) का 1 प्रतिशत = रु0 .....

कुल वार्षिक लागत (D) = रु0 .....

लाभ–लागत अनुपात = B/D

वी0के0टमटा
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
(नियोजन अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पत्रांकः–सी–45 / मु0अ0वि0 / नि0अनु0 / दिनांकः 18.07.2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, गंगा घाटी / यमुना घाटी परियोजना, देहरादून / उत्तर, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून / नैनीताल / श्रीनगर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा।
4. अधीक्षण अभियन्ता(बजट अनुभाग), मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(आर चालिसगांवकर)
अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन)
कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष